**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**

**विषय :-** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर दर्ज "अवध बनिया" जाति को विलोपित कर उसे अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-124 पर स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2641 दिनांक-15.09.2006 के द्वारा अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का गठन किया है। संकल्प की कंडिका-3 (iii) के अनुसार आयोग अत्यन्त पिछड़ी जातियों की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करना अथवा उससे हटाने की अनुशंसा सरकार को कर सकेगा।

(2) अवध बनिया समाज को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन था। इस संबंध में आयोग का निष्कर्ष निम्नवत् है :-

"अवध बनिया द्वारा समर्पित कागजात एवं दोनों समुदाय (अदरखी-अवध बनिया) के गांवों का स्थल निरीक्षण के उपरांत सर्वेक्षित आँकड़ों की गहन समीक्षा के फलस्वरूप आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अवध बनिया एवं अदरखी समुदाय के बीच वैवाहिक संबंध 70-75 वर्षों से चलते आ रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक रूप से अदरखी समुदाय की तुलना में अवध बनिया समुदाय काफी पिछड़ा होने के कारण अदरखी समुदाय की तरह अवध बनिया समुदाय को पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 में शामिल करने की अनुशंसा आयोग करती है।"

(3) अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर दर्ज "अवध बनिया" जाति को विलोपित कर उसे अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-124 पर स्वतंत्र रूप से शामिल कर दिया जाय।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

**आदेश**- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

sec-11 sanlekh

ज्ञापांक–11/आ0नी0–III–06/2014 सा0प्र0.................. पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–III–06/2014 सा0प्र0 15308 पटना–15, दिनांक– 10-11-14

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/ सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, प्रभारी पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना को "अधिकार" सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/ स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों /पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

10/11/2014
सरकार के अपर सचिव।

sec-11 sanlekh